International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 230-233

सीकर जिले के किसानों की कृषि उपज विपणन के प्रति अवधारणा

चोथमल कुमावत*
डॉ. तरूण कुमार यादव**

सार

पृथ्वी पर पाये जाने वाले मरूस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में सदैव जलाभव पाया जाता है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति एवं सघन कृषि नहीं की जा सकती है। यहॉ पारंपरिक रूप से घासें, मरूस्थलीय झाड़ियॉ, मांसल तने वाले पौधे तथा सूक्ष्म वनस्पति पायी जाती है। इनका पर्यावनूकुलन शुष्क दशाओं के साथ होता है लेकिन वर्तमान में निरन्तर आ रही जल की कमी को मदेनजर रखते हुए मरूथलीय पारिस्थितिक तंत्र मे कम पानी में विकसित होने वाले पेड़–पौधो का विकास किया जा रहा है। ऐसी गतिविधियों में कृषि वानिकी एवं बागवानी विकास प्रमख है। बागवानी को मुख्यता कृषि बागवानी व्यवस्था एवं सामजिक वानिकी बागवानी व्यवस्था के प्रतिरूपों के आधार पर विकसित किया जाता है। कृषि बागवानी व्यवस्था में फलदार पौधे एवं फ़सलें विभिन्न तरह से साथ–साथ बोई जाती है। इस व्यवस्था के आकार एवं प्रतिरूप के आधार पर इन्हें अन्तराशस्यारोपण या गलियारा पौध रोपण के नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कृषि फसलें मौसमी आय प्रदान करती है। द्वितीय व्यवस्था सामाजिक वानिकी फलोद्यान है, इसका विकास सार्वजनिक पंचायत भुमि या सरकारी अकृषि बंजर भूमि पर किया जाता है। इसको सामान्य ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा विकसित किया जाता है। वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी प्रतिरूप पर वन विभाग द्वारा किया जाता है इसके अतिरिक्त सूक्ष्म स्तर पर स्ज्ञथनीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका विकास घरेलु उद्यान के रूप में भी किया जाता है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था में पानी की आवश्यकता वाले पौधें को प्राथमिकता रहती है, जिसमें आंपला, बेर, करौंदा, कैर, नींबू, श्हतूत, फालसा, आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त औषधीय पौधें का विकास भी महत्वपूर्ण है।

शब्दकोषः *फसल, पौधे एवं कृषि कार्य।*

प्रस्तावना

कृषि में खेतों की फसल बुवाई करने बीज बोने, कुओं सें सिंचाई के लिये पानी निकालने फसल की कटाई भूसे से अनाज को अलग करने,खेतों को समतल करने एवं अनाज को मण्डी तक पहुचाने इत्यादि कार्यो में आधुनिक कृषि यंत्रो का उपयोग होता है। अतः किसान खेत में बीज बोने से लेकर अनाज को बाजार तक पहुचानें तक में मशीनरी का उपयोग करता है और वर्तमान में कृषि कार्यो में मशीनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

* शोधार्थी, भूगोल विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान।
** शोध निर्देशक एवं सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, श्री जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, झुंझुनू, राजस्थान।

पिछलें कुछ दशकों से किसानों नें कृषि यंत्र को स्वयं खरीद लिया है जैसे– ट्रेक्टर, थ्रेसर, लोहे के हल,बुवाई मशीन,मैढ़ इनाने की मशीन, कीटनाशक छिड़कने की मशीन, डीजल इंजन, पम्पसैट, विद्युत पम्पसैट, फव्वारा सैट, सिचाई के पाइप इत्यादि, साथ ही छाटे व गरीब किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद नहीं पातें तो वें इन्हें किराये पर लेकर कृषि कार्य करते है। कृषि में मशीनों का उपयोग एक चमत्कार साबित हुआ है, जब से कृषि में मशीनीकरण का उपयोग हुआ है, तब से भुमि संसाधन का समुचित उपयोग होने लगा है, इससे समय की बचत कुल उत्पादन एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है साथ ही कृषि में लाभांश बढ़ा है।

कृषि कार्य के स्थानिक वितरण का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रदेश का कृषि परिदृष्य विषमताओं से युक्त होता है, उसका सरलता से बोध नहीं किया जा सकता है, क्यों कि भौगोलिक जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक दशाएँ विभिन्न स्थानों पर बदलती रहती है। ये विभिन्नताएँ कृषि क्रियाओं को विभिन्नता देती है। कृषि भूदृष्य में भिन्नता निम्नलिखित करके के कारण आती है।

- **प्राकृतिक कारक**
  - उच्चावच
  - जलवायु–वर्षा, पाला, तापमान, आर्द्रता, पवनें।
  - मृदा
  - जल संसाधन की उपलब्धता
- **सामाजिक सांस्कृतिक कारक**
  - भू–स्वामित्व
  - सामूहिक स्वामित्व
  - भू–स्वामी
  - बटाई काश्तकारी
  - जोत का आकार
- **आर्थिक कारक**
  - कृषि कार्य एवं उद्यम
  - क्षेत्रीय विशिष्टता
  - बाजार
  - श्रम
  - यातायात व्यवस्था
  - राजनीतिक कारक

इस प्रकार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पारस्परिक कृषि व्यवस्था का आधुनिकीरण करने के लिए उपर्युक्त वर्णित कारकों को मद्देनजर रखना आवश्यक है।

भारत में 1960 के दशक में कृषि आधुनिकीरण की दिशा में प्रयास प्रारम्भ हो गये थे। स्वतंत्रा के पश्चात् से पूर्वी एशिया के अन्य नए स्वतंत्र देशों की भांति भारत में भी आधुनिकीरण की लहर फैली जिसका प्रभाव अन्य उधोगो के साथ–साथ कृषि पर अधिक पड़ा। आधुनिकीरण प्रक्रिया के अन्तर्गत तकनीकी प्रयोग एवं नई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, परिणामस्वरूप आर्थिक एवं तकनीकी विकास में वद्धि प्रत्येक क्षैत्र में स्पष्ट दिखाई देने लगी है।

कृषि आधुनिकीरण प्रक्रिया से कृषि व्यवस्था में समयानुसार परिवर्तन आने लगे तथा आधुनिकीरण के साथ नयी पद्धति जुड़ने लगी। विकासशील एवं अविकसित देशों में कृषि आधुनिकीरण प्रक्रिया के विकास के हेतु सरकार ने किसानों कों वांछित सुविधाएँ एवं सहायता देना प्रारम्भ किया। जिनमें प्रमुख हैः–

- सिंचाई सुविधाओं का विकास।
- कृषि यंत्रं एवं कृषि विस्तार कार्यक्रम क्रियान्वित करना।
- कृषि यंत्रं एवं मशीनीकरण उपलब्ध कराना।
- अधिक लागत वाली वस्तुएँ सस्ती दर पर सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराना।
- आवागन सुविधा।
- ऋण सुविधा।

वर्तमान में कृषि आधुनिकीरण की दिशा में संस्थागत सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा से कृषि विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं में मुख्यतः पूँजी विस्तार सुविधा, गहन पूँजी सुलभ सेवाएँ इत्यादि है।

पूंजी विस्तार सेवा सुविधाएँ

इसमें विशेषकर कृषि साख ,कृषि विपणन, कृषि विस्तार, शोध सेवाएँ पशु स्वास्थ्य आदि प्रमख है।

- **कृषि साख सुविधा**

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कृषक की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। किसानों को ग्रामीण क्षैत्र में साहुकार एवं महाजन ही आवश्यकता पड़ने पर धन देने थे तथा मनमाने तरीके से ब्याज वसुलते थे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और दयनीय हो जाती थी तथा कृषक ऋण नहीं चुका पाता था। अतः मजबुरन कृषक कों ब्याज के स्थान पर उत्पादित फसल ही साहुकारों को देनी पड़ती थी और जब कृषक को अनाज की आवश्यकता होती है तब कृषक को खाद्यान्न ऊची दर पर खरीदना पड़ता था। अतः स्वतंत्रा प्राप्ति के बाद सरकार ने दस और ध्यान दिया तथा कृषक वर्ग को कृषि कार्य करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु संस्थाओं का गठन किया तथा कार्य क्षैत्र बढ़ाया गया है।

- **सहकारी संस्थाएँ**

अनेक सरकारी समितियॉ, केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषि साख, सहकारी समितियॉ, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमिक विपणन सहकारी समितियॉ, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राथमक विपणन सहकारी समितियॉ, कृषि उपज मंडी समितियॉ वर्तमान में कार्यरत है। राज्य में सहकारी संस्था विकास कार्यक्रम काफी पुराना है। सहकारी आन्दोलन का विकास अजमेर में 1902 में प्रारम्भ हो गया था लेकिन वास्तविक रुप से विकास सन् 1904 में भरतपुर एवं डीग में कुषि बैकों की स्थापना से हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात 6 जनवरी 1953 को राज्य सहकारी समिति अधिनियम पारित होने से इस कार्यक्रम में विशेष प्रगति हुई।

निष्कर्ष

सीकर जिले के सन्दर्भ में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहॉ कृषि व्यवस्था में मुख्यतः फलदार एवं औषधीय पौधे उगाये जा सकते हैं। साथ में गलियारों मे घास आदि उगाई जा सकती है। कृषि बागातर वयवस्था के साथ स्थानीय ईंधन एवं इमारती लकड़ी की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए किनारों पर कृषि वानिकी पौधे भी लगाायें जा सकते है। इस प्राकृतिक परिदृश्य को विकसित करके ही शुष्क पारिस्थितिक पंत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है तथा ये ही इस क्षेत्र में सतत् विकास की सीाावनाएँ तलाश सकता है, क्यों कि बागवानी व्यवस्था के विकास से स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित होते हे। कृषि के साथ पशुपालन विकास भी होगा जो ग्रमीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधर है। हरित पटी का विकास होने से पारिस्थितिकीय संतुलन भी बना रह सकता है। इन सभी का मदेनजर रखते हुए मरूस्थलीय पारिस्थितिकी मे बागवानी विकास करके जिलें सतत् विकास किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता एन.एल. :– 'राजस्थान में कृषि विकास' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1985.
2. कॉपरेटिव मूवमेंट इन :– 'स्टेटिस्टीकल सैक्सन, कॉपरेटिव डिपार्टमेन्ट, राजस्थान, जयपुर 1976–77, 1982–83
3. स्टेटिस्टीकल एब्सटैक्ट :– आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान,जयपुर
4. प्रगति विवरण :–राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, 1986
5. आर.के.गुर्जर :– 'इरीगेशन फार एग्रीकल्चर माइनाइजेशन' साइन्सीटिफिक पब्लिसर्स, जोधपुर, 1987
6. टी.एस.चौहान :– 'कृषि भूगोल' एकेडमिक पब्लिसर्स, जयपुर, 1987.

❖◆❖